संशोधन

संख्या-230(2)/1-10-2017-14(23)/2004

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ :: दिनांक :: 20 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए अग्निशमन उपकरणों, पी0ए0सी0 की बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ उपकरणों तथा राज्य आपदा मोचक बल के गठन के फलस्वरूप विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-230/1-10-2017-14(23)/2004, दिनांक 15.03.2017 द्वारा दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए अग्निशमन उपकरणों, पी0ए0सी0 की बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ उपकरणों तथा राज्य आपदा मोचक बल के गठन के फलस्वरूप विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु रू0 59,42,68,509/- (रूपये उनसठ करोड़ बयालिस लाख अड़सठ हजार पॉच सौ नौ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- उक्त आदेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यय "वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के स्थान पर " वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " पढ़ा जाय।

3- पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 15.03.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner